

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/दरभंगा।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 14-02-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में कुल ₹1,58,41,889/- (एक करोड़ अठावन लाख एकतालीस हजार आठ सौ नवासी रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-12.6.18, 43(7)ब दिनांक-03.10.18, 54(7)ब दिनांक-12.10.18 एवं 71(7)ब दिनांक-28.12.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों के लिए कुल ₹1,58,41,889/- (एक करोड़ अठावन लाख एकतालीस हजार आठ सौ नवासी रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियाँ के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/दरभंगा/ संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।
सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,
Q.108/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 91(7)0

पटना, दिनांक : 14-02-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

Q.131/19

सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित यस्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन
विवरण-1

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (11-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	विधि प्रभार (13-05)	कुल	अस्पष्टि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अपर निदेशक, यस्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	0	0	0	0	0	0	161389	0	20000	0	181389	990/18.12.18/68/22.1.19
2	अपर निदेशक, यस्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	740000	103600	111000	14800	30600	1000000	0	0	0	0	1000000	223/20.12.18
3	अपर मुख्य चि0पदा0,पटना	400000	56000	60000	12000	20000	548000	0	0	0	0	548000	131/11.12.18
4	अपर मुख्य चि0पदा0,कटिहार	400000	56000	60000	12000	20000	548000	0	0	5000	0	553000	4/7.1.19
5	अपर मुख्य चि0पदा0, रोहतास	1350000	189000	202500	40500	67500	1849500	0	0	20000	0	1869500	95/28.12.18
6	अपर मुख्य चि0पदा0,गोपालगंज	1900000	266000	285000	57000	95000	2603000	0	0	0	0	2603000	472/17.12.18
7	अपर मुख्य चि0पदा0,छपरा	3200000	448000	480000	96000	160000	4384000	0	0	0	0	4384000	8/4.1.19
8	अपर मुख्य चि0पदा0,सिवान	400000	56000	62000	12000	20000	550000	0	0	0	0	550000	343/29.12.18
9	अपर मुख्य चि0पदा0,मुजफ्फरपुर	400000	56000	60000	12000	20000	548000	0	0	10000	5000	563000	2/2.1.19
10	अपर मुख्य चि0पदा0, वैशाली	400000	56000	62000	12000	20000	550000	0	0	0	0	550000	46/28.1.19
11	अपर मुख्य चि0पदा0,भागलपुर	1100000	154000	165000	33000	55000	1507000	0	0	0	0	1507000	7/5.1.19
12	अपर मुख्य चि0पदा0,अररिया	1100000	154000	165000	33000	55000	1507000	0	10000	0	0	1517000	12/7.1.19
13	अपर मुख्य चि0पदा0,बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	16000	15/12.1.19
	कुल	11390000	1594600	1712500	334300	563100	15594500	161389	26000	55000	5000	15841889	

(एक करोड़ अठानवन लाख एकतालीस हजार आठ सौ नवासी) रु. मात्र

21/12/19

14-02-19

21/12/19

सरकार के विशेष सचिव

2

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	485346000	422840000	11390000	434230000	51116000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	72442000	59197600	1594600	60792200	11649800
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	77271000	63446000	1712500	65158500	12112500
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	5119000	4300000	0	4300000	819000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	12924000	11809200	334300	12143500	780500
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	24147000	21122000	563100	21685100	2461900
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	677249000	582714800	15594500	598309300	78939700
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	808539	161389	969928	30072
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	119000	26000	145000	105000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	258000	55000	313000	87000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	131000	0	131000	69000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	175000	5000	180000	120000
14	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	147500	0	147500	52500
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	200000	0	200000	0
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	400000	173000	0	173000	227000
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	0	0	0	600000
18	आहार / पथ्य (0001-21-03)	600000	600000	0	600000	0
19	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
20	संविदा सेवार (0001-28-02)	500000	450000	0	450000	50000
19	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	600000	0	0	0	600000
	कुल योग:-	690800000	590293339	15841889	606771228	84028772

91 (7)A

14-02-19

सरकार के विशेष सचिव

